

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रपत्र - 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र सं	नाम कार्मिक	विषय	विद्यालय का नाम	जन्मतिथि	से0नि0 तिथि
1	श्री रमन सिंह	अंग्रेजी	राउमावि ब्रह्मबाद, बयाना, भरतपुर	20.08.1959	31.08.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षाराजस्थान,

बीकानेर

दिनांक : 08/05/19

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/सेवानिवृत्ति/अंग्रेजी/2019-20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. सम्बंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, भरतपुर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बयाना, भरतपुर।
7. प्रधानाचार्य, राउमावि ब्रह्मबाद, बयाना, भरतपुर।
8. श्री रमन सिंह व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि ब्रह्मबाद, बयाना, भरतपुर।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

श्री विनोद कुमार व्याख्याता-संस्कृत राउमावि केसरीसिंहपुरा, बांदीकुई, दौसा जन्मतिथि 05.07.1973 का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 03.04.2019 को निधन हो चुका है। अतः श्री विनोद कुमार व्याख्याता-संस्कृत राउमावि केसरीसिंहपुरा, बांदीकुई, दौसा की सेवाएँ दिनांक 03.04.2019 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व० विनोद कुमार के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक : 08/05/19

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/संस्कृत/सेवासमाप्ति/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, दौसा को भेजकर लेख है कि श्री विनोद कुमार का नाम वरिष्ठता सूची से विलोपित कराने कि कार्यवाही करावें।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, बांदीकुई, दौसा।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि केसरीसिंहपुरा, बांदीकुई, दौसा।
7. संबंधित आश्रित, द्वारा संस्था प्रधान राउमावि केसरीसिंहपुरा, बांदीकुई, दौसा।
8. अनुभाग अधिकारी-वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एबी अनुभाग को सूचनार्थ।
9. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर